भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3841
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025
3 चैत्र, 1947 (शक)

दावणगेरे जिला स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक

†3841. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधि संवितरित करने के लिए निर्धारित अनुपालन दिशानिर्देशों अथवा औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्यों द्वारा और विशेषकर दावणगेरे स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की स्थापना के संदर्भ में औपचारिकताओं का अनुपालन न करने के कारण रद्द की गई परियोजना के पुनः अनुमोदन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दावणगेरे जिला स्टेडियम में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत उक्त ट्रैक की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार कर्नाटक राज्य को खेलो इंडिया के अंतर्गत युवा छात्रावासों के लिए निधि प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो दावणगेरे सहित जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अनुदानकर्ताओं को धनराशि का वितरण खेलो इंडिया स्कीम के परिचालन दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जो https://yas.nic.in/sports/khelo-india-national-programme-development-sports-0 पर उपलब्ध है। इसके अलावा, मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का भी पालन करता है।

(ख) राज्यों द्वारा गैर-अनुपालन औपचारिकताओं के कारण खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत रद्द की गई परियोजना के पुनः अनुमोदन के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्वीकृत उक्त परियोजना आज की तिथि में रद्द कर दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

****